दिया, लेकिन सारे हरिजनों के लिये या सर्व-साधारण हरिजनों के लिये आपने कुछ नहीं किया। आपके जरिये मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वहां पर जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें हरिजन कितने हैं? जो साधारण आदमी हैं उनमें हरिजन केवल डेढ़ फीसदी हैं और अफसरों की संख्या तो सारे बैंकों में केवल 11 है यानि यह एक परसेंट या आधा परसेंट भी नहीं आती है। मैं यह कह कर इस बिल का समर्थन करूंगा कि सरकार केवल नारे लगाना बन्द कर दे और सही माइनों में अगर आप गांधी जी का नाम लेकर उनकी वोटों को मांगते हैं, तो कुछ तो शर्म करनी चाहिये कि जब उनकी समाधि पर खड़े हो कर यह पूजा करते हैं कि हरिजन गांधी जी को कितने प्यारे थे, तो कुछ तो हरिजनों का कल्याण कीजिये। केवल दो चार मंत्री बनाने से उनका कल्याण नहीं होगा।

———

RE : DEATH OF SHRI LAL BAHADUR SHASTRI—*Contd.*

सभापति महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने जो कहा था कि श्री लालबहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में उसके बारे में होम मिनिस्टर साहब बयान देंगे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : श्री प्रकाशवीर शास्त्री को इसकी सूचना दे दी है?

SHRI P. K. DEO : Why do you take away the Private Members' Bills' time?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): That statement was made during the Private Members' Bills' time only.

THE MINISER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : A point was raised in this House a short while ago...

AN HON. MEMBER : Was Shri Prakash Vir Shastri informed?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : He never informed us either.

It is not only unfair to the Government, but it is unfair to the whole House, I should say, that points like that are raised without any notice. It had been suggested that Government is tampering with the record in connection with the death of late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri. I want to categorically repudiate that. No such thing is being done. There was a question on this the other day but it could not be taken up. In a short time, the Government would come with a fuller statement of the facts and circumstances.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल रिकार्ड को खराब करने का सवाल नहीं। आप एक उच्चाधिकार सम्पन्न आयोग क्यों नहीं नियुक्त करते, जो कि सारे मामले की जांच करे।

श्री राम निवास मिर्धा : उसकी बहस तो कर लेंगे जब समय होगा। आज तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य माननीय सदस्य ने यहां पर दिया, उसके जवाब में मुझे यह कहना आवश्यक था। तो मैंने सदन को इसके बारे में बता दिया।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह कहा गया था कि जो स्टेनोग्राफर हैं, जो कर्मचारी हैं, और जिनको मालूम है कि किस प्रकार शास्त्री जी की मृत्यु हुई उन पर दबाव डालकर कहा जा रहा है कि इस प्रकार की कोई बात न कही जाय जिससे इस प्रकार की बात निकले कि शास्त्री जी नेचुरल डेथ से नहीं मरे। मैं आप से कहूंगा कि जब उनकी धर्मपत्नि को शुबाह है, देश के हर आदमी को शुबाह है, प्राइमा फैसी यह बात है तो आप कमीशन क्यों नहीं बनाते।

सभापति महोदय : आप उसमें नहीं जाइये। मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। आप उसकी डिटेल्स में जा रहे हैं। श्री उइके..... (व्यवधान)

16.44 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(Amendment of articles 330 and 332)

श्री मंगरु उइके (मंडला) : सभापति महोदय, जो यह रेजूलूशन है इसके सम्बन्ध में दो वक्ताओं के भाषण हुए हैं। सब हाउस इसके पक्ष में है लेकिन कोई भी प्रकार का बिल आये, इस सरकार की निन्दा और नुक्ताचीनी करना यह एक निशाना हो गया... (व्यवधान)...मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त आदिवासियों और हरिजनों के लिए रिजर्वेशन दिया गया, मैं समझता हूं कि अभी जो भाषण दिया गया है ऐसे लोगों के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। उस वक्त यह किसी और के दिमाग की बात थी और मैं महात्मा गांधी जी को याद करता हूँ कि उन्हीं के कारण हरिजनों और आदिवासियों को यह सुविधा मिली। इसमें शुरू में किसने अन्याय किया? जो आप इसका पक्ष करते हैं, ऐसे ही लोगों ने इसका इतना विरोध किया। तो यह जो कुछ कहते हैं, करते कुछ और हैं। मेरे मध्य प्रदेश एक जगह के आदिवासी हैं और वही जाति के व्यक्ति दूसरी जगह आदिवासी नहीं है। 1.-20 साल तक इनको आदिवासी कल्याण कार्यों के सुभीतों के हक नहीं रहे हैं, 1: लाख लोगों को अपने हकों से वंचित किया गया। आज जो शैड्यूल्ड कास्ट और आदिवासियों का इन्क्लूजन करने का बिल आया है, 15-20 साल बाद जो उनको दिया जा रहा है, वह सारा कल्याण का काम, उनको जो मिलने वाला है, यह रुकावट किया किसने? यही लोगों ने किया है। और आज हमारे जनसंघ के भाई ने बड़ा जोर लगाकर कहा। मैं कहता हूं कि 1966 में श्रीमती चन्द्रशेखर स्टेट मिनिस्टर थीं, उस समय आदिवासी और अन्य हरिजनों के तथा अन्य पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया कि शैड्यूल्ड कास्ट का ऐक्सक्लूजन और इनक्लूजन के बारे में विचार करना है, तो मैं यह कहता हूँ कि जनसंघ के एक दूसरे लीडर—मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है—श्री मधोक ने सख्ती के साथ इसका विरोध किया कि क्या आप आदिवासियों और हरिजनों के रिजर्वेशन की बात करते हो? इनको खत्म करना चाहिए उसी प्रकार से स्वतन्त्र पार्टी के डाह्या भाई पटेल ने जोर लगाकर कहा कि आदिवासियों और हरिजनों का रिजर्वेशन खत्म कर दो। यह सब रिकार्ड में है। यह कमेटी के अन्दर सब बयान लिखे हुए हैं। उस वक्त मैंने उसका विरोध किया था, यह मुझे मालूम है।...(व्यवधान) . आज सरकार की तरफ से कोई ऐसा अन्याय नहीं होता है। मैं भी डिलिमिटेशन कमीशन में को-आप्टेड मेम्बर था और मेरे यहां 7.5 प्रतिशत हमारी पापुलेशन निकली। तो 1967 के चुनाव में हमारे 8 मेम्बर आये। यहीं से मध्य प्रदेश से सात आदिवासी संसद सदस्य थे। मेरी कंस्टीट्युयेंसी के अन्दर 3 आदिवासी मेम्बर विधान सभा के थे, उसी संख्या के अनुसार 4 हुए, तीसरे चुनाव में और चौथे चुनाव में वह 5 हुए। जनसंख्या के अनुपात में मेम्बर दिये जाते हैं। पर होता क्या है? यहां ये पक्ष में बात करेंगे, लेकिन जब मर्दुम-शुमारी होगी तो उनकी संख्या 10 प्रतिशत बढ़ेगी, लेकिन आदिवासियों और हरिजनों की संख्या मुश्किल से 2 या तीन प्रतिशत बढ़ती है। कारण क्या है? मर्दुम-शुमारी में जो लोग लिखने वाले होते हैं, वे क्या आदिवासी और हरिजन होते हैं? 80 या 90 प्रतिशत आपके आदमी होते हैं जो आदिवासियों और हरिजनों की जनसंख्या कम करते हैं। मैं मिनिस्टर को